भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 259

सोमवार, 20 मार्च, 2017 / 29 फाल्गुन, 1938 (शक)

बंधुआ मजदूर पुनर्वास कोष

***259. श्री राजेश रंजन:**
श्री निनोंग इरिंग:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय बंधुआ मजदूर पुनर्वास योजना, 2016 की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ख) उक्त योजना की शुरुआत से अब तक बंधुआ मजदूर पुनर्वास कोष के अंतर्गत राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल कितना योगदान प्राप्त हुआ है;

(ग) क्या केन्द्रीय निगरानी समिति ने उक्त कोष में योगदान देने के संबंध में कोई रिपोर्ट तैयार/प्रस्तुत की है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सभी राज्य सरकारों ने बंधित श्रम पद्घति (उत्सादन) अधिनयम, 1976 के अंतर्गत यथा अधिदेशित सतर्कता समितियों का गठन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

(क) से (ङ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*

*****

बंधुआ मजदूर पुनर्वास कोष के संबंध में श्री राजेश रंजन और श्री निनोंग इरिंग द्वारा दिनांक 20.03.2017 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *259 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क): 'बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की योजना, 2016' की मुख्य विशेषताएं निम्नवत हैं:-

(1) आर्थिक सहायता को 20,000/- रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये प्रति वयस्क पुरुष लाभार्थी, विशेष श्रेणी के लाभार्थी यथा अनाथ बच्चों अथवा संगठित एवं जबरन भीख मंगवाने वाले गिरोह से छुड़ाए गए बच्चों अथवा अन्य बलात् बाल श्रम के अन्य स्वरुपों और महिलाओं के लिए 2 लाख रुपये तथा अति उपेक्षा अथवा अभावग्रस्त संबंधी बंधुआ अथवा बलात मजदूरी के मामलों जैसे परालिंगियों अथवा व्यापक यौन उत्पीड़न जैसेकि वेश्यालयों, मसाज पार्लरों, प्लेसमेंट एजेंसियों आदि अथवा दुर्व्यापार से बचाई गई महिलाओं अथवा बच्चों अथवा दिव्यांगजनों के मामलों में अथवा जहां भी जिला मजिस्ट्रेट उचित समझे, 3 लाख रुपये किया गया है।

(2) राज्य सरकार से नकद पुनर्वास सहायता के संबंध में कोई समान अंशदान अपेक्षित नहीं है।

(3) इस स्कीम में बंधुआ श्रमिकों के सर्वेक्षण के लिए राज्यों को प्रति जिला 4.50 लाख रुपये और मूल्यांकन संबंधी अध्ययनों के लिए 1.00 लाख रुपये की वित्तीय सहायता का प्रावधान है।

(4) इस योजना में जागरूकता सृजन हेतु प्रत्येक राज्य को प्रतिवर्ष 10 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता का प्रावधान है।

(5) पुनर्वास सहायता को जारी करना अभियुक्त की दोषसिद्धि से जोड़ दिया गया है। ऐसे मामलों जिनमें विचारण पूरा नहीं हुआ हो, परन्तु जिला प्रशासन प्रथम दृष्टया निष्कर्ष और दासता के प्रमाण पर पहुंच गया हो, तो नकदी सहायता हेतु प्रस्ताव दोषसिद्धि का ब्यौरा नहीं होने के कारण रोका नहीं जाएगा। तथापि, नकदी सहायता और गैर-नकदी सहायता का अंतिम संवितरण दासता के प्रमाण और न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार अन्य विधिक परिणामों के आधार पर किया जाएगा।

(6) स्कीम में प्रत्येक राज्य द्वारा जिला स्तर पर बंधुआ श्रमिक पुनर्वास निधि के सृजन के लिए कम से कम 10 लाख रुपये की स्थायी निधि का प्रावधान है जो मुक्त कराए गए बंधुआ श्रमिकों की तत्काल सहायता के लिए जिला मजिस्ट्रेट के विवेकाधीन है।

(7) जिला राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना सोसायटी के अंतर्गत मंत्रालय द्वारा निधि जारी की जाती है और बदले में जिला परियोजना सोसायटी जिला प्रशासन सहित क्रियान्वयन एजेंसियों को निधियां जारी करती है।

(8) उपर्युक्त लाभ, अन्य नकद अथवा गैर-नकद लाभों के अतिरिक्त होंगे जिसके लिए लाभार्थी फिलहाल लागू किसी अन्य स्कीम अथवा कानून द्वारा अथवा उसके तहत इस स्कीम के अंतर्गत पात्र हो। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त लाभ निम्नानुसार अन्य भूमि एवं आवासीय घटकों आदि के अतिरिक्त होंगे:

- आवास स्थल एवं कृषि योग्य भूमि का आबंटन।
- भूमि विकास।
- कम खर्च वाली आवासीय इकाईयों का प्रावधान।
- पशु पालन, दुग्ध पालन, कुक्कुट पालन, सुअर पालन आदि।
- मजदूरीयुक्त नियोजन, न्यूनतम मजदूरी का प्रवर्तन आदि।
- अल्प वानिकी उत्पादकों का संग्रहण और प्रसंस्करण।
- लक्षित जन-वितरण प्रणाली के अंतर्गत अनिवार्य वस्तुओं की आपूर्ति।
- बच्चों के लिए शिक्षा।

(ख): जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है, संशोधित योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों से नकद पुनर्वास सहायता के संबंध में कोई समान अंशदान अपेक्षित नहीं है। यह योजना वित्तीय वर्ष 2016-17 में लागू हुई तथा वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान आवंटन 3.00 करोड़ रुपये है।

(ग): जी, नहीं।

(घ) और (ङ): बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 की धारा 13 के अंतर्गत, प्रत्येक राज्य सरकार जैसा वह उचित समझे, प्रत्येक जिले और प्रत्येक उप-मंडल में सतर्कता समिति गठित करने के अनिवार्य दायित्व के अधीन है। राज्य सरकारों द्वारा गठित सतर्कता समितियों की संख्या के संबंध में सूचना केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती।

*****